न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम

अब्दुल गनी बनाम आरिफ हुसैन

किस्म मुकदमाः— रेस्टो0 / कोटा मिसल नं0 2022 / 131

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुये
15 / 10 / 2024	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र बाबत् रेस्टोरेशन अपील पेश कर कथन किया कि उक्त अपील में गत तारीख पेशी 29.03.2022 बहस दर0 पर नियत थी। उक्त पेशी पर प्रार्थी गत दो वर्ष से बीमार होकर बैड पर है एवं प्रार्थी के अधिवक्ता भी आवश्यक कार्य से पेशी पर उपस्थित नहीं हो सके जिस कारण से माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी की अनुपस्थिति दर्ज कर उक्त अपील अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दी गई है। प्रार्थी की उपस्थिति बोनाफाइड है एवं क्षमा योग्य है तथा प्रार्थना पत्र अंदर मियाद पेश है। अंत में अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर गुणावगुण पर सुनवाई किये जाने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रश्नगत अपील दिनांक 29.03.2022 को अदम हाजरी में खारिज फरमा दी गयी है। जिसके बाद दिनांक 05.04.2022 को अपीलांट ने उक्त प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता पेश किया है। हमारे मत में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाकर एवं पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर ही न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र रेस्टोरेशन अपील स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत अपील पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते रेस्टोरेशन अपील स्वीकार किया जाता है। न्यायालय हाजा की अपील संख्या 2015 / 00031 को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मूल अपील की पत्रावली के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 15/10/24 (मुरलीधर प्रतिहार) राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा	